रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04052023-245692
CG-DL-E-04052023-245692

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2024] नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2023/वैशाख 13, 1945
No. 2024] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2023/ VAISAKHA 13, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2023

का.आ. 2112(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) और (3) के खंड (v) और खंड (xiv), उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, का.आ.सं. 668 (अ), तारीख 21 फरवरी, 2017 के द्वारा प्रकाशित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में-

(i) पैरा 2 में, उप-पैरा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा को रखा जाएगा: अर्थात्:-

"(i) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए, इस संशोधित अधिसूचना के प्रकाशन से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय लोगों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दी गई शर्तों का पालन करते हुए एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी'.

(ii) पैरा 4 में,-

(क) 'निगरानी समिति' शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"5. **निगरानी समिति**.- केन्द्रीय सरकार एक निगरानी समिति का गठन करेंगी जिसमें नीचे दी गई सारणी में निर्दिष्ट निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्: -

क्र. स.	व्यक्तियों के नाम	पद
(i)	कलेक्टर, बुलदाना	*पदेन*, अध्यक्ष
(ii)	पर्यावरण विभाग के एक प्रतिनिधि, महाराष्ट्र सरकार।	*पदेन*, सदस्य
(iii)	राजस्व विभाग का एक प्रतिनिधि, महाराष्ट्र सरकार।	*पदेन*, सदस्य
(iv)	क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल।	*पदेन*, सदस्य
(v)	प्रत्येक तीन वर्ष में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामित पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ।	सदस्य
(vi)	पर्यावरण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में नामित किया जाएगा।	सदस्य
(vii)	वरिष्ठ नगर नियोजक अधिकारी, बुलदाना	*पदेन*, सदस्य
(viii)	उप वन संरक्षक, बुलदाना (प्रादेशिक)	*पदेन*, सदस्य सचिव

(ख) शीर्षक, 'निर्देश और शर्त' और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

5ए. निगरानी समिति के कार्य. –

(1) निगरानी समिति, वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की छानबीन करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1553 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006, और पर्यावरण, वन मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में निर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं और यथास्थिति, जलवायु परिवर्तन या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के लिए होंगे।

(2) भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले, उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में निर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, निगरानी समिति द्वारा वास्तविक साइट-विशिष्ट की स्थितियों के आधार पर जांच की जाएगी और संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) निगरानी समिति के सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, उद्योग संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित हितधारकों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए जारी करने के आधार पर अपेक्षा के आधार पर आमंत्रित कर सकती है।

(5) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक इस अधिसूचना को राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक को उपाबंध-IV में विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा के अनुसार प्रस्तुत करेगी।

(6) केन्द्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए निगरानी समिति को लिखित रूप में ऐसे निर्देश दे सकती है, जैसा वह उचित समझे।

[फा. सं. 25/43/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. एस. करकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 668(अ), तारीख 21 फरवरी, 2017 के द्वारा प्रकाशित की गई थी;

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2023

S.O. 2112(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-sections (2) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 668(E), dated the 21st February, 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) in paragraph 2, for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(i) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for consideration, within a period of two years from the publication of this amendment notification".

(ii) in paragraph 4,-

(a) for the heading 'Monitoring Committee', and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"5. **Monitoring Committee**.- There shall be a committee to be known as Monitoring Committee constituted by the Central Government which shall comprise of the following persons specified in the Table below, namely:-

Serial number	Name of persons	Designation
(1)	(2)	(3)
(i)	Collector, Buldana	*exofficio*, Chairman;
(ii)	A representative of the Department of Environment, Government of Maharashtra.	*exofficio*, Member;
(iii)	A representative of the Department of Revenue, Government of Maharashtra.	*exofficio, Member;*
(iv)	Regional Officer, Maharashtra Pollution Control Board.	*exofficio, Member;*
(v)	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the State Government from time to time every three years.	Member;
(vi)	A representative of a Non-Governmental Organisation working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the State Government from time to time every three years.	Member;
(vii)	Senior Town Planner Officer, Buldana	*exofficio*, Member;
(viii)	Deputy Conservator of Forests, Buldana (Territorial)	*exofficio*, Member Secretary."

(b) For the heading, 'Terms and Condition', and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"5A. **Functions of the Monitoring Committee.** – (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1553 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in Annexure-IV, appended to this notification.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

[F. No. 25/43/2015-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 668(E), dated the 21st February, 2017.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2023.05.04 21:21:11 +05'30'